तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम राधेश्याम प्रकरण संख्या– 113/2011 सीआईएस नं– 2920/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

दिनांकः– 13/2/2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त जरिए अधिवक्ता पेश हुई, जो बाद गौर केवल आज के लिए स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने धारा 311 सीआरपीसी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान् सुनी गई। इस आदेश द्वारा एपीओ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 311 सीआरपीसी दिनांकित 08.10.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर लंबित है। प्रकरण में चालान मजरूब की एमएलसी करने वाले चिकित्सक का नाम देवेन्द्र झालानी सहवन से लिखा गया है। उक्त गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर मजरूब की एमएलसी स्वयं द्वारा नहीं किया जाना दर्शित किया है। गवाह पीडब्ल्यू 6 महेन्द्र द्वारा मजरूब की एमएलसी डॉ. मदनलाल मीणा द्वारा किया जाना बताया है, ऐसे में गवाह डॉ. मदनलाल मीणा, सीएचसी सुल्तानपुर को गवाह सूची में रखा जाकर तलब किया जाकर न्यायालय में परीक्षित करवाए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि सहायक अभियोजन अधिकारी जिस डॉक्टर मदनलाल मीणा को गवाह हेतु बुलाना चाहते हैं, उसके संबंध में किसी भी गवाह ने अपने बयानों में कथन नहीं किया है। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा भी उक्त गवाह को गवाह सूची में नहीं रखा गया है, ऐसे में उक्त गवाह को इस स्तर पर साक्ष्य में बुलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी ने धारा 311 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में गवाह मदनलाल मीणा को साक्ष्य सूची में जोडा जाकर तलब किए जाने की प्रार्थना पत्र की है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त डॉक्टर के द्वारा प्रकरण में मजरूब की एमएलसी की गई है, जिस बावत कथन प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 6 महेन्द्र कुमार मीणा ने अपने बयानों में किए हैं। उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के बाद अवलोकन यह जाहिर आता है कि उक्त प्रकरण धारा 341, 323, 325/34 आईपीसी से संबंधित है, जो मारपीट किए जाने की घटना पर अवलंबित है। ऐसे में प्रकरण में मजरूब के चोटों का मुआयना जिस डॉक्टर द्वारा किया गया है उसे साक्ष्य में बुलाया जाना आवश्यक है। प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 6 महेन्द्र कुमार मीणा ने भी दौराने बयान यह कथन किए हैं कि उन्होंने डॉक्टर मदन लाल मीणा के आदेश पर ही मजरूब बाबूलाल का एक्स–रे किया था, ऐसे में उक्त गवाह को

प्रकरण में तलब किया जाकर उनकी साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, ऐसे में सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थिना पत्र स्वीकार किया जाकर डॉक्टर मदन लाल मीणा का नाम साक्ष्य सूची में जोडा जाता है। उक्त गवाह को जरिए बी/डब्ल्यू 10,000/– रुपए से आवश्यक रूप से तलब किया जावे। साथ ही तामील पर इस आशय का नोट लिखवाया जावे कि उक्त गवाह प्रकरण में अंतिम गवाह है। उक्त गवाह की तामील आवश्यक रूप से करवाई जाए आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 31-2-26 को पेश हो।

13/2/26

न्यायिक मजिस्ट्रेट
दीगोद जिला कोटा